निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 73 / 2021 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 05 / 04 / 2021
निर्णय दिनांक :– 18 / 11 / 2024

अनवान

1. राजूसिंह पिता वरदसिंह जाति रावत निवासी किशनपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी मसूदारोड़ भाटी नगर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का स्वादड़ी ए, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सवंत् 2076 खाता संख्या 22 आराजी संख्या 271, 272, 287 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6400 हैक्टेयर हिस्सा 1 / 2 खाता संख्या 101 आराजी संख्या 772, 773 कुल किता 02 कुल रकबा 4.9300 हैक्टेयर में हिस्सा 1 / 28 जमाबन्दी संवत् 2076 खाता संख्या 197 आराजी संख्या 276 रकबा 0.0300

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

गै0मु0आ0चा0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0300 हैक्टेयर हिस्सा 1 / 6 है। मेरे पिता वरदसिंह की मृत्यु होने से उनके विरासत का नामान्तरकरण संख्या 532 में दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने बिना जॉच किये दुसरों के कहने से मेरा नाम वेणसिंह बता दिया गया है जिससे मेरा वास्तविक नाम राजूसिंह के बजाय राजस्व रिकार्ड में वेणसिंह दर्ज हो गया है उसको दुरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। मेरे राशनकाड, आधार कार्ड, आई0डी0 में मेरा नाम राजूसिंह पिता वरदसिंह दर्ज है एवं इसी नाम से मुझे पुकारा जाता है एवं वरदसिंह के वेणसिंह नाम का कोई पुत्र नहीं है शपथ पत्र पेश है। मुझे कृषि भूमि पर ऋण वगैरहा लेने से जमीन की नकले निकलवाई तब मुझे गलत नाम का मुझे पता चला एवं जानकारी हुई। भूमि का नामान्तरकरण के समय में नाबालिग था एवं मेरे भाईयों के नाम के साथ मेरा नाम वेणसिंह भूल से लिखा गया है जबकि मेरा नाम राजूसिंह है। मेरे पिता वरदसिंह के कोई वेणसिंह नाम का व्यक्ति नहीं है। राजस्व रिकॉड्र में मिस्टेक हुई है जिसे सुधारने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान राजस्व अधिनियम पेश किया जा रहा है। भूमि पर लोन वगैरहा लेने से पटवार मण्डल ने भूमि की नकले निकलवाई तब मुझे पता चला कि उक्त भूमि में व राजस्व रिकॉर्ड में गलत वेणसिंह पिता वरदासिंह इन्द्राज का पता चला। रिकॉर्ड जमाबन्दी को शुद्ध करने का प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम किशनपुरा पटवार मण्डल स्वादड़ी ए तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी सवंत् 2076 खाता संख्या 22 आराजी संख्या 271, 272, 287 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6400 हैक्टेयर हिस्सा 1 / 2 खाता संख्या 101 आराजी संख्या 772, 773 कुल किता 02 कुल रकबा

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

4.9300 हैक्टेयर में हिस्सा 1 / 28 जमाबन्दी संवत् 2076 खाता संख्या 197 आराजी संख्या 276 रकबा 0.0300 गै0मु0आ0चा0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0300 हैक्टेयर हिस्सा 1 / 6 प्रार्थी के रिकॉर्ड में सुधार कर वेणसिंह के बजाय राजूसिंह दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जाकर नाम को पुनः मेरे नाम पर अंकन करने का कृपा करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का स्वादड़ी ए की जांच रिपोर्ट पेश की गई जवाब में उल्लेखित है कि राजस्व ग्राम किशनपुरा के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 22, 101, 197 में वेणसिंह पिता वरदसिंह जाति रावत सा देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार वेणसिंह पिता वरदसिंह जाति रावत के संलग्न दस्तावेज आधारकार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाणित दस्तावेज एवं मौका पर्चा अनुसार नाम राजूसिंह पुत्र वरदसिंह जाति रावत दर्ज है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का किशनपुरा, तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 22, 101, 197 राजस्व अधिकारी की त्रुटी से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम वेणसिंह पिता वरदसिंह जाति रावत दर्ज कर दिया गया जो कि अशुद्ध है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शपथ पत्र, में प्रार्थी का नाम राजूसिंह पिता वरदसिंह है जो की सही है। भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> 90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a REvenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब व पटवारी हल्का किशनपुरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों (पहचान पत्र, आधार कार्ड, शपथ–पत्र, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र) एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम किशनपुरा, पटवार हल्का

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

स्वादड़ी ए, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम वेणसिंह पिता वरदसिंह को हटाकर उसके स्थान पर राजूसिंह पिता वरदसिंह राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18 / 11 / 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)